रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 13, 1985/चैत्र 23, 1907

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 13, 1985/CHAITRA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

विधि साहित्य प्रकाशन

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1985

सा. का. नि. 364 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1983 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1983 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया गया है), नियम 1 के उपनियम (1) में, "विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "विधि और न्याय मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(क) प्रधान सम्पादक के पद से संबंधित मद 1 के सामने स्तंभ 12 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(1) समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

8	9	10	11	12	13	14
					roval, if, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	

[No. A-11018/11/84-FPI(MS)]

KUM. C. CINTURY, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1985

सा. का. नि. 384:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1964* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी समूह "घ" पद भर्ती (संशोधित) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, क्रम सं. 6 के सामने ;

(1) स्तम्भ 8 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के नीचे, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"वांछनीय अर्हताएं :

(क) होम गार्ड सिविल रक्षा स्वयं सेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा ; और

(ख) होम गार्ड और सिविल रक्षा में कम से कम "बुनियादी" और "पुनश्चर्या" पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ।" ;

(2) स्तम्भ 12 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी ;

अर्थात् :—

"स्थानान्तरण

आकाशवाणी के केन्द्रों/कार्यालयों में समूह "घ" पद धारण कर रहे ऐसे व्यक्ति जिनके वेतनमान वही हैं जो चपरासी के हैं और जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है तथा जो कम से कम बुनियादी तौर पर साक्षर हैं और जिनमें अंग्रेजी या हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा पढ़ने की योग्यता है।"

*मूल नियम, अर्थात् आकाशवाणी (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1964 को अधिसूचना सं. 11 (5) 60-बी (ए), तारीख 30-11-1964 (सा. का. नि. संख्या 1777, दिनांक 30-11-1964) के अधीन सूचित किया गया । तत्पश्चात् उनके निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

अधिसूचना सं.	तारीख
1	2
1. सं. एफ 11 (5) 60-बी (ए)	18-1-65
2. सं. 7/2/67-बी (ए)	16-6-67
3. सं. 20/4/67-बी (ए)	11-1-68
4. सं. 7/1/68-बी (ए)	7-3-68
5. सं. 11/12/70-बी (ए)	15-4-68
6. सं. 1/17/73-बी (ए)	13-11-75
7. सं. 1/17/73-बी (ए)	18-2-76
8. सं. 1/9/76-बी (ए)	28-9-76
9. सं. 1/12/75-बी (ए)	12-5-76
10. सं. 12019/5/76-बी (ए)	21-6-78
11. सं. 12019/4/78-बी (ए)	5-8-78
12. सं. 1/17/73-बी (ए)	10-9-76
13. सं. 1/13/75-बी (ए)	9-1-81
14. सं. 1/13/75-बी (ए)	7-9-81
15. सं. 11/52/81-एस. 11 बी (ए)	11-4-83

[सं. 11/31/84-एस-2 बी (ए)]

इकबाल कृष्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 16th March, 1985

G.S.R. 384.—In exercise of he powers cnferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1964.*

1. (1) These rules may be called the All India Radio Group 'D' posts Recruitment (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'D' post) Recruitment Rules, 1964, against Serial number 6—

(i) under column 8, below the existing entries the following entries shall be inserted, namely :—

"Desirable qualifications

(a) 3 years service as Home Guards/Civil Defence Volunteers; and

(b) training in at least 'Basic' and 'Refresher' courses in the Home Guards and Civil Defence".

(ii) under column 12, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:—

"Transfer

Persons holding group 'D' posts at the Stations/Offices of All India Radio having the same pay scale as that of Peon and who have put in minimum five years regular service and having atleast elementary literary and ability to read either English or Hindi or regional language".

*The Principal Rules called the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1964 were notified vide Notification No. 11(5)/60-B(A) dated 30-11-1964 (GSR No. 1777 dated 30-11-1964). Subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 11(5)/60-B(A), dated 18-1-1965
2. Notification No. 7/2/67-B(A), dated 16-6-1967
3. Notification No. 20/4/67-B(A), dated 11-1-68
4. Notification No. 7/1/68-B(A), dated 7-3-1968
5. Notification No. 11/12/70-B(A), dated 15-4-1968
6. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 13-11-1975
7. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 18-2-76
8. Notification No. 1/1/76-B(A), dated 28-9-76
9. Notification No. 1/12/75-B(A), dated 12-5-1976
10. Notification No. 12019/5/76-B(A), dated 21-6-78
11. Notification No. 12019/4/78-B(A), dated 5-8-78
12. Notification No. 1/17/73-B(A), dated 10-9-76
13. Notification No. 1/13/75-B(A), dated 9-1-81
14. Notification No. 1/13/75-B(A), dated 7-9-1981
15. Notification No. 11/52/81-S.II/B(A), dated 11-4-1983.

[No. 11/31/84-S.II/B(A)]
IQBAL KRISHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1985

सा. का. नि. 385.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 से परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और प्रयोग करते हुए, प्रकाशन विभाग (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग (वर्ग 3 पद पांचवा संशोधन) भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रकाशन विभाग (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1968 में,

(1) "वर्ग 3" शब्द और अंक, के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, 'समूह ग'. तक और अक्षर रखे जायेंगे।

(2) अनुसूची में, विक्रय प्रतिनिधि और विक्रय सहायक के पदों से संबंधित प्रविष्टि संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6
2. विक्रय प्रतिनिधि	5* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	550-20-650-25-750 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यार्थियों से (उनसे. भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।